राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों हेतु 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम' में आवश्यक संशोधनों के लिए परामर्शदातृ समिति गठित की

पटना, 25 मई 2019

महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने विश्वविद्यालयों हेतु 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम' (CAS) से संबंधित परिनियमों/अधिनियमों आदि में यू॰जी॰सी॰ के अद्यतन दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक संशोधन/परिमार्जन के लिए सुझाव देने हेतु एक 'परामर्शदातृ समिति' का गठन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो॰ रास बिहारी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में करने का आदेश दिया है।

उक्त 'परामर्शदातृ समिति' में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो॰ रंजीत कुमार वर्मा एवं टी॰एम॰ भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के कुलपति प्रो॰ लीलाचंद साहा को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति के आदेशानुरूप निर्गत राज्यपाल सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार यू॰जी॰सी॰ द्वारा 2018 में दिए गये नये मार्ग–निर्देशों के मुताबिक उच्च शिक्षा में आदर्श–मानकों को बहाल रखने तथा शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक कर्मियों की नियुक्ति एवं उनकी विभिन्न पदों पर प्रोन्नति से संदर्भित आवश्यक प्रावधानों में यथापेक्षित संशोधनों से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित उक्त परामर्शदातृ समिति को एक पखवारे के भीतर अपनी रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया है।

'परामर्शदातृ–समिति' की रिपोर्ट पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी मंतव्य प्राप्त किए जाएँगे एवं तदुपरान्त सबको समेकित रूप प्रदान करते हुए महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति की स्वीकृति के उपरांत, 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम' (CAS) विषयक परिनियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी।

ज्ञातव्य है कि 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम' विगत 27 जुलाई, 1998 से प्रभावी है और इस संदर्भ में मौजूदा परिनियम (Statute) वर्ष 2005 के जून महीने में राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी हुआ था, जिसमें यू॰जी॰सी॰ के नये मार्ग–निर्देशों के अनुरूप अब आवश्यक संशोधन किए जाने हैं।

....